बिहार सरकार
जल संसाधन विभाग
कार्यपालक अभियंता (यॉंत्रिक) का कार्यालय
सिंचाई यॉंत्रिक प्रमंडल, वीरपुर
E-mail ID - imdbirpur@gmail.com

अति–अल्पकालीन कोटेशन आमंत्रण सूचना संख्या :–13/2026-27

पत्रांकः– वीरपुर/ दिनांकः–

1. कार्य का विवरण :–

क्रमांक	कार्य का नाम	प्रतिमाह फिक्स किराया (रूपये में)	संवेदक द्वारा अंकित प्रतिमाह किराया (रूपये में)	कार्य समाप्ति की अवधि
1	**2**	**3**	**4**	**6**
1.	सिंचाई यॉंत्रिक प्रमंडल, वीरपुर के कार्य क्षेत्रान्तर्गत **एकरारनामा की तिथि से दिनांक 31.03.2027 तक** दिवा–रात्री कार्य हेतु 01 (एक) अद्द बोलेरो/स्कॉर्पियो सामान्य वाहन ड्राइवर के साथ भाड़े पर आपूर्त्ति।	**30,000.00**		31.03.2027

2. कोटेशन आमंत्रण की तिथि :– दिनांक **14.07.2026**
3. कोटेशन प्राप्ति की तिथि एवं समय :– दिनांक **20.07.2026** को **3.00** बजे अपराह्न तक
4. कोटेशन प्राप्ति का स्थान एवं समय :– <u>कार्यपालक अभियंता (यॉं0), सिंचाई यॉंत्रिक प्रमंडल, वीरपुर</u>
5. कोटेशन खोलने का स्थान एवं समय :– क्रमांक 4 में अंकित कार्यालय
   दिनांक **20.07.2026** को **3.30** बजे अपराह्न

14/07/26

कार्यपालक अभियंता (यॉंत्रिक),
सिंचाई यॉंत्रिक प्रमंडल, वीरपुर
Mob. No.-8210141033

14/7/26

नियम एवं शर्त्तें :–

1. वाहन (वाणिज्य निबंधन सहित) का मॉडल 2021 के पूर्व का नहीं होना चाहिए तथा वाहन अच्छी स्थिति एवं कार्यरत अवस्था में होना चाहिए।
2. वाहन का वैध निबंधन (वाणिज्य निबंधन) पत्र, बीमा, रोड टैक्स एवं प्रदुषण प्रमाण–पत्र वाहन परिचालन के दौरान अधतन रखना होगा।
3. चालक के पास वैध ड्राईविंग लाईसेंस होना चाहिए।
4. वाहन आपूर्त्ति कर्त्ता को जी0 एस0 टी0 निबंधन प्रमाण–पत्र एवं पेन कार्ड संलग्न करना अनिवार्य है।
5. वाहन का किराया प्रतिमाह Rs. 30,000.00 (तीस हजार) मात्र एवं आपके द्वारा उद्धत दर में से न्युनतम दर स्वीकार होगा तथा भुगतान विभाग से आवंटन प्राप्त होने के पश्चात् किया जायेगा।
6. क्रमांक 4 में भुगतान के अलावा मात्र डीजल फ्यूल विभाग के द्वारा दिया जायेगा।
7. वाहन चालक के वेतन का भुगतान, आवासन एवं भोजन आदि की व्यवस्था, वाहन का रख–रखाव, साफ–सफाई एवं तौलिया उपलब्ध कराना इत्यादि का वहन, वाहन मालिक के द्वारा किया जायेगा तथा हमेशा चालू अवस्था में रखने की जिम्मेवारी वाहन मालिक/वाहन आपूर्त्तिकर्त्ता की होगी। वाहन चोरी या दुर्घटना तथा अन्य क्षति होने पर चालक सहित वाहन की जिम्मेदारी वाहन मालिक/वाहन आपूर्त्तिकर्त्ता की होगी।
8. नियमानुसार सभी प्रकार के करों अर्थात जी0 एस0 टी0 आदि अन्य करों का भुगतान वाहन मालिक/वाहन आपूर्त्तिकर्त्ता को स्वयं वहन करना होगा। विभाग द्वारा किसी प्रकार के कर का भुगतान नहीं होगा।
9. चयनित कोटेशनदाता का वाहन माह 31 मार्च 2027 तक भाड़े पर रखने के लिए Rs. 1,000.00 (एक हजार) मात्र के भारतीय गैर न्यायिक (India Non-Judicial) के स्टाम्प पर एकरारनामा किया जायेगा जिसे सेवा संतोषजनक होने की स्थिति में इसी एकरारित दर पर ही वाहन भाड़े का अवधि विस्तार किया जायेगा तथा एकरारित अवधि के दौरान वाहन का उपयोग वाहन मालिक/वाहन आपूर्त्तिकर्त्ता के द्वारा किसी निजी कार्य में नहीं किया जायेगा। वाहन खराब होने की स्थिति में वाहन मालिक/आपूर्त्ति कर्त्ता को तुरंत दुसरा वाहन उपलब्ध कराना होगा अन्यथा उस दिन का भाड़ा दोगुने दर से कटौती की जायेगी।
10. सेवा असंतोषजनक रहने पर अथवा वाहन की आवश्यकता नहीं रहने पर कार्यपालक अभियंता (यॉत्रिक), सिंचाई यॉत्रिक प्रमंडल वीरपुर को बिना कारण बताये एकरारनामा रद्द करने का अधिकार होगा।
11. वाहन के लॉग बुक का संधारण वाहन मालिक द्वारा की जायेगी जिसमें वाहन उपयोग करने वाले पदाधिकारी द्वारा आवश्यक प्रविष्टी की जायेगी जिसके आधार पर भुगतान किया जायेगा। वाहन का माईलेज वास्तविक रूप से डाले गये डिजल अथवा 10 कि0 मी0 प्रति लीटर में से जो अधिक हो मान्य होगा।
12. वाहन संचालन/भाड़े के भुगतान विपत्र से नियमानुसार जी0 एस0 टी0 एवं आयकर की कटौती की जायेगी।
13. आवश्यकतानुसार वाहन का उपयोग बिहार के अलावा नेपाल प्रभाग में भी किया जायेगा।

इच्छुक वाहन मालिक/वाहन आपूर्त्तिकर्त्ता नियम एवं शर्त्त के क्रमांक 1 से 13 तक के शर्त्तो को स्वीकार करने से संबंधित अपना शपथ–पत्र (नोटरी द्वारा निर्गत) एवं नियम एवं शर्त्त के क्रमांक 2 से 4 तक संबंधित कागजात की सत्यापित प्रति के साथ अपना कोटेशन दिनांक **20.07.2026** के अपराह्न 3.00 बजे तक कोटेशन के क्रमांक 4 में अंकित कार्यालय में बन्द लिफाफा में समर्पित करेंगे, जिसे दिनांक **20.07.2026** को 3.30 बजे अपराह्न में खोला जायेगा। वाहन मालिक/वाहन आपूर्त्तिकर्त्ता कोटेशन खोलने के समय उपस्थित रह सकते है। सभी वांछित कागजात सही पाये जाने पर एवं एक से ज्यादा समान न्युनतम भाड़े दर के कोटेशन प्राप्त होने पर वैध कोटेशन दाता के बीच लॉटरी के माध्यम से वाहन मालिक/वाहन आपूर्त्तिकर्त्ता का चयन किया जायेगा, जिसकी सूचना वैध कोटेशनदाता के मोबाईल नं0/Whatsapp/E-mail ID के द्वारा दिया जायेगा। वाहन मालिक/वाहन आपूर्त्तिकर्त्ता लॉटरी के समय उपस्थित रहेगें अन्यथा इनकी या इनके प्रतिनिधि की उपस्थिति बिना भी लॉटरी किया जायेगा तथा इस संबंध में कोई दावा मान्य नहीं होगा। कोटेशन के साथ नियम एवं शर्त्त के क्रमांक 2 तथा 3 के कागजात एवं शपथ–पत्र नहीं रहने पर इसे अमान्य कर दिया जायेगा। कोई अन्य जानकारी कार्यालय में सम्पर्क कर अथवा कार्यालय सूचना पट्ट के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है।

Anuj Kumar
14.07.26

कार्यपालक अभियंता (यॉत्रिक),
सिंचाई यॉत्रिक प्रमंडल, वीरपुर
Mob. No.- 8210141033